Assembly Business

No.Coop.A(3)-3/2006
Government of Himachal Pradesh
Department of Cooperation

To

The Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha,
Shimla-171004.

Dated Shimla-171002, the 1 -4- ~~March~~, 2015

Subject: Notice regarding introduction of Himachal Pradesh Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2015.

Sir,

I have the honour to give notice of my intention to introduce the Himachal Pradesh Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2015 pertaining to Cooperation Department by relaxing the relevant rules.

120 copies(three authenticated copies) of Bill are also enclosed.

Yours faithfully,

(Virbhadra Singh)
Chief Minister,H.P.

Endst No.Coop.A(3)-3/2006-V Dated Shimla-2. The 1-4-2015

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Pr.Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla.
2. The Secretary (GAD) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2

(Gopal Sharma)
Special Secretary(Coop.)to the
Govt. of Himachal Pradesh.
Ph: No. 2621874.

2015 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 34 का संशोधन।

3. नई धारा 34—क का अन्तःस्थापन।

4. 2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन।

2015 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. .(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2014 को प्रवृत हुआ समझा जाएगा ।

धारा 34 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 34 में,–

(क) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (घ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(घ) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 34–क के अधीन की गई नियुक्ति।" ; और

(ख) उपधारा (3) के प्रथम और द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा।

नई धारा 34–क का अन्तःस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"34–क. रजिस्ट्रार द्वारा प्रबन्ध समिति के सदस्य की नियुक्ति.–(1) उप–विधियों में विनिर्दिष्ट किसी सीमा के होते हुए भी, समुचित हितों का प्रतिनिधित्व करने के आशय से, रजिस्ट्रार प्रबन्ध समिति के लिए, निर्वाचित सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई से अनधिक, अतिरिक्त संख्या में सदस्य नियुक्त करेगा:

परन्तु धारा 34, 35 और इस धारा की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट और नियुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति होगा और शेष, यदि कोई है, महिलाओं के हितों सहित अन्य समुचित हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक से सम्बन्धित कोई सदस्य ऐसी समिति में पहले निर्वाचित नहीं किया गया हो।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन इस प्रकार नियुक्त सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि प्रबन्ध समिति का आगामी निर्वाचन नहीं हो जाता है या जब तक उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं कर दिए जाते हैं, जो भी पूर्वतर हो, और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रबन्ध समिति के सदस्य सोसाइटी के सदस्य हों या न हों किन्तु वे सहकारी सोसाइटी और प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए विहित समस्त अहर्ताएं अवश्य रखते हों।

(5) यदि प्रबन्ध समिति में किसी नियुक्त सदस्य का पद रिक्त होता है तो रजिस्ट्रार ऐसी रिक्ति को व्यक्तियों के उसी वर्ग में से नियुक्ति द्वारा भरेगा जिससे रिक्ति हुई हो।"।

2015 के हिमाचल प्रदेश अध्योदश संख्यांक 1 का निरसन।

4. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 34 प्रत्येक सोसाइटी के लिए प्रबन्ध समिति के गठन का उपबन्ध करती है और इसके अतिरिक्त प्रबन्ध समिति मे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान तथा ऐसी समिति में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्थान आरक्षित करने का भी उपबन्ध करती है। यह उपबन्ध हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1971 के नियम 38 और 39 के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उक्त नियमों के नियम 38 और 39 सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को महिलाओं के हितों सहित समुचित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रबन्ध समिति में सदस्यों को अतिरिक्त संख्या में नियुक्त करने के लिए सशक्त करते हैं। इसलिए, अस्पष्टता को दूर करने और धारा 34 के उपबन्धों को अधिक सुव्यक्त तथा सुस्पष्ट बनाने के आशय से इस धारा को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया था।

मामले की अत्यावश्यकता के दृष्टिगत अध्यादेश लाने का भी विनिश्चय किया गया था क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी । इसलिए हिमाचल सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1) 26 फरवरी, 2015 को राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया था, परन्तु इसी बीच विधान सभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई थी इसलिए मन्त्रीपरिषद् द्वारा तारीख 26–2–2015 की अपनी बैठक में मामले पर पुनर्विचार किया गया तथा अध्यादेश को प्रख्यापित न करने और विधान सभा के समक्ष संशोधन विधेयक लाने का विनिश्चय किया गया।

निरन्तर.....

इसलिए उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के आशय से धारा 34–क अन्तःस्थापित करने और धारा 34 को समुचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अस्पष्टता को दूर किया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री ।

शिमलाः

तारीख ..... , 2015

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख ..... , 2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराः

34. प्रबन्ध समिति का गठन.—(1) प्रत्येक सोसाइटी का प्रबन्धन इस अधिनियम, नियमों और उप–विधियों के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जैसे इस अधिनियम, नियमों और उप–विधियों द्वारा कमशः प्रदत्त किए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

(2) सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का गठन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा,–

(क) सोसाइटी के सदस्यों में से वार्षिक या विशेष साधारण बैठक द्वारा निर्वाचन;

(ख) अन्य सहकारी सोसाइटियों या संस्थाओं के नामनिर्देशिती, यदि कोई उप–विधियों में उपबन्धित हों; और

(ग) धारा 35 के अधीन नामनिर्दिष्ट, सरकार का नामनिर्देशिती, यदि कोई हो।

(2–क) प्रबन्ध समिति, यथाशक्य शीघ्र, इसके निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से प्रबन्ध समिति के, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान, उप–प्रधान निर्वाचित करेगी।

(2–कक) उपधारा (2–क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने–

(i) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी का अभिदान; या

(ii) धारा 48 के अधीन यथा उपबन्धित सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी के निर्माण या संबर्धन में अप्रत्यक्षतः सहयोग या

(iii) किसी सोसाइटी को मूल रकम के प्रतिसंदाय और ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के संदाय की गारंटी,

पचास लाख रूपए तक या इससे अधिक किया है या दी है, तो वहां राज्य सरकार, धारा 35 के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी एक सदस्य को ऐसी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य, ऐसी सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रधान या 'उप–प्रधान के रूप में निर्वाचित या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा सदस्य राज्य सरकार में मन्त्री है।

(3) सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति, सरकार के नामनिर्देशितियों सहित पांच से अन्यून किन्तु 21 से अनधिक सदस्यों से गठित होगी:

परन्तु सदस्य के रूप मे व्यष्टियों से गठित और व्यक्तियों की ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों वाली प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक स्थान (सीट) आरक्षित होगा:

परन्तु यह और कि सदस्य के रूप में व्यष्टियों से गठित और व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों वाली प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में, महिलाओं के लिए, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले तैंतीस प्रतिशत स्थान (सीटें) आरक्षित होगें।

(4) प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों और इसके पदाधिकारियों की पदावधि, निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी, और पदाधिकारियों की पदावधि, प्रबन्ध समिति की पदावधि के साथ सह–विस्तारी होगी:

परन्तु प्रबन्ध समिति, सदस्यों की ऐसी श्रेणी, जिससे आकस्मिक रिक्ति उद्भूत हुई है, में से नामनिर्देशन द्वारा आकस्मिक रिक्ति भर सकेगी, यदि प्रबन्ध समिति की पदावधि उसकी वास्तविक पदावधि से आधे से कम है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 7 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 34.
3. Insertion of new section 34-A
3. Repeal of H.P. Ordinance No. 1 of 2015.

Bill No. 7 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No.3 of 1969).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of April, 2014.

Amendment of section 34. 2. In section 34 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"),-

(a) in sub-section (2), after clause (c), the following new clause (d) shall be inserted, namely:-

"(d) appointment made by the Registrar under section 34-A."; and

(b) in sub-section (3), the first and second provisos shall be omitted.

Insertion of new section 34-A .

3. After section 34 of the principal Act, the following new section 34-A shall be inserted, namely:-

"34-A. Appointment of managing committee member by the Registrar.-

(1) Notwithstanding any limits specified in the bye-laws, in order to represent appropriate interests, the Registrar shall appoint an additional number of members for the managing committee, not exceeding one-third of the number of elected members:

Provided that the total number of committee members so elected, nominated and appointed under sections 34, 35 and sub-section (1) of this section, shall not exceed the maximum limit specified under sub-section (3) of section 34.

(2) Out of the members appointed under sub-section (1), one shall be a person belonging to Scheduled Castes, one belonging to Scheduled Tribes and the remaining, if any, representing other appropriate interests including the interests of women, unless a member each belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and representing other interests has already been elected on such committee.

(3) The members so appointed under sub-sections (1) and (2) shall hold office till the next election of the managing committee or till other persons are appointed in their place, whichever is earlier, and shall have the right to vote.

(4) The managing committee members appointed under this section may or may not be the members of the society but should possess all the qualifications prescribed for membership of a co-operative society and the managing committee.

(5) If a vacancy occurs in the office of an appointed member in the managing committee, the Registrar shall fill up such vacancy by an appointment from amongst the same class of persons in respect of which the vacancy has arisen.".

Repeal of H.P. Ordinance No.1 of 2015.

4. The Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 34 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968(Act No. 3 of 1969) provides for constitution of managing committee of every society and further provides for reservation of 33 % seats to women on the managing committee and one seat reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on such committee. This provision is not in consonance with rule 38 and 39 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Rules, 1971, because rules 38 and 39 of the said rules empowers the Registrar of the Co-operative Societies to appoint additional number of members on the managing committee to represent appropriate interests including the interests of women. Thus, in order to remove the ambiguity and to make the provisions of section 34 more clear and unambiguous, it was decided to amend this section suitably.

Keeping in view the urgency of the matter, it was also decided to bring an Ordinance because the State Legislative Assembly was not in session. As such, the Himachal Pradesh Co-operative Societies(Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No.1 of 2015) was signed by the Governor on 26.2.2015, but in the meanwhile the notification of the Budget Session of the Legislative Assembly was issued, therefore, the matter was reconsidered by the Cabinet in its meeting held on 26.2.2015 and it was decided to not to promulgate the Ordinance and to bring amendment Bill before the Legislative Assembly. Thus, in order to achieve the above objective, it has been proposed to insert section 34-A and also to amend section 34 suitably so as to remove the ambiguity.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

SHIMLA:
The ,2015.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2015

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No.3 of 1969).

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

(DEVENDER KUMAR SHARMA)
Pr.Secretary (Law).

Shimla:

The _____2015.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT,1968(Act No. 1969)LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section:

34. *Constitution of the Managing Committee.*- (1) The management of every society shall vest in a managing committee constituted in accordance with this Act, rules and bye-laws, which shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed respectively, by this Act, rules and bye-laws.

(2) The managing committee of a co-operative society shall be constituted by,-

(a) election from amongst the members of the society at the annual or special general meeting;

(b) nominees of other co-operative societies or institutions, if any, provided in the bye-laws; and

(c) Government nominees, if any, nominated under section 35:

(2-A). The managing committee shall, as soon as may be, elect from amongst its elected or nominated members a Chairman, Vice-Chairman; or a President, Vice-President, as the case may be, of the managing committee.

(2-AA). Notwithstanding anything contained in sub-section (2-A), where the State Government has-

(i) subscribed to the share capital of a co-operative society, or

(ii) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided under section 48,or

(iii) guaranteed the repayment of principal amount and payment of interest on loans and advances to a society,

to the extent of rupees fifty lakhs or more, the State Government may appoint, one of the members nominated under section 35, as Chairman of the managing committee of such society:

Provided that no member of a managing committee shall be eligible to be elected or appointed as Chairman or Vice-Chairman or President or Vice-President of the managing committee of such society, if such member is a Minister in the State Government.

(3) The managing committee of a co-operative society shall consist of not less than five but not more than twenty-one members including Government nominees:

Provided that one seat shall be reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes on the managing committee of every co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons:

Provided further that thirty-three percent seats to be filled by election shall be reserved in such manner as may be prescribed for women on the managing committee of every co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons.

4. The term of office of the elected members of the managing committee and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be co-terminus with the term of the managing committee:

Provided that the managing committee may fill a casual vacancy by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the managing committee is less than half of its original term.